भाग-III

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जून, 2014

संख्या का०आ० 67/के०अ० 42/2005/धा० 32/2014.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 42), की धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) और (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, ग्रमीण विकास विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 22/के०अ० 42/2005/धा० 32/2014, दिनांक 7 फरवरी, 2014 के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेरोजगारी भत्ता) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 42);

(ख) "केन्द्रीय नियमों" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम;

(ग) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्राय है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला उपायुक्त एवं अध्यक्ष;

(घ) "निधि" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्थापित राज्य रोजगार गारंटी निधि;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) "पंचायत सचिव" से अभिप्राय है, सम्बन्धित पंचायत का सचिव;

(छ) "स्कीम" से अभिप्राय है, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 2007;

(ज) "बेरोजगारी भत्ता" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन किया गया भुगतान।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिये गए हैं।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्रता।

3. (1) कोई व्यक्ति जो पंजीकरण एवं रोजगार रजिस्टर में पंजीकृत है, तथा स्कीम के अधीन जारी किया गया जॉब कार्ड रखता है, तथा जिसने रोजगार पाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उसका आवेदन कार्य रजिस्टर की मांग में पंजीकृत किया गया है, तो बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा, यदि कार्य मांग की प्राप्ति पर पन्द्रह दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम तीस दिन के लिए विद्यमान मजदूरी दर का एक चौथाई के बराबर और शेष अवधि के लिए विद्यमान मजदूरी दर का आधे के बराबर दर पर भुगतान किया जाएगा। किसी विलम्ब की दशा में, प्रापक अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 30 में यथा उपबन्धित मुआवजा का हकदार होगा।

(2) किसी भी परिवार को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का सरकार का दायित्व अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार समाप्त हो जाएगा।

बेरोजगार भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया।

4. (1) बेरोजगारी भत्ते का दावा करने वाला व्यक्ति अवधि जिसके लिए बेरोजगार भत्ता का दावा किया गया है के अन्तिम दिन से पन्द्रह दिन के भीतर रोजगार प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने के सबूत सहित उसके बैंक लेखा संख्या के सम्पूर्ण ब्यौरे देते हुए पंचायत सचिव को आवेदन करेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने उपरान्त, पंचायत सचिव आवश्यक जांच करेगा तथा यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि आवेदक ने योजना के अधीन रोजगार के लिए अपने को पंजीकृत करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तथा बेरोजगार भत्ते के भुगतान के लिए हकदार है, तो वह आवेदन को कार्यक्रम अधिकारी को अपनी टिप्पणियों सहित भेजेगा।

(3) कार्यक्रम अधिकारी, आवेदन के तथ्यों तथा पंचायत सचिव के तर्कसंगत आधार पर, अवधि जिसके लिए बेरोजगार भत्ता भुगतान योग्य है को दर्शाते हुए उस आशय का आदेश जारी करेगा और सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगा।

(4) यदि कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ते की मांग रद्द करता है, तो वह उसे रद्द करने के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा इसे लिखित में आवेदक तथा ग्राम पंचायत को सूचित करेगा।

(5) कार्यक्रम अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपील कर सकता है, जो अपील का निपटान ऐसी अपील की तिथि के तीस दिन के भीतर करेगा।

(6) ग्राम पंचायत, पात्र आवेदक के बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ते को अन्तरित करेगी।

(7) ग्राम पंचायत, इसके द्वारा किए गये बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में मासिक विवरण कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

5. (1) कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के रिकार्ड का रख-रखाव करेगा। बेरोजगार भत्ते के लेखों का रख-रखाव।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत बेरोजगारी भत्ते के भुगतान तथा भत्ते के भुगतान या उसकी अस्वीकृति, जैसी भी स्थिति हो, के बारे सूचना हेतु उस द्वारा प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगी। रजिस्टर में दर्ज सूचना ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर उसी प्रोफार्मा में कार्यक्रम अधिकारी को प्रतिवेदित की जाएगी।

(3) प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी कम्प्यूटर में डाटा संकलित करेगा तथा उसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयक को सप्लाई करेगा।

(4) प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त डाटा संकलित करेगा तथा मानीटरिंग सूचना तन्त्र (एम०आई०एस०) फ्रॉमैटों के लिए दिये गये प्रोफार्मा में मासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इसे ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा और ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को ई-मेल या ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा तथा सम्यक् रूप से उसकी हस्ताक्षरित प्रति भी भेजेगा।

(5) कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति उपरान्त अधिनियम/नियमों के उपबन्धों की उल्लंघना में बेरोजगारी भत्ते की आदायगी के लिए जिम्मेवार पाए गए उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करेगा। सम्यक् जांच के बाद, दोषियों/लाभकर्ताओं से राशि की वसूली करेगा। सूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर जांच कार्यवाहियां पूरी की जाएगी।

6. कोई भी परिवार जिसको बेरोजगार भत्ता प्रदान किया गया है, तो वह वित्तीय वर्ष में न्यूनतम सौ दिन के काम की मांग पर रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के लिए पात्र बना रहेगा। बेरोजगार भत्ता कम न करना।

परन्तु कुल दिनों की संख्या जिसके लिए बेरोजगार भत्ता दिया गया है तथा/या नियोजन उपलब्ध करवाया गया है, तो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सौ दिन की सीमा से अधिक नहीं होगा।

7. बेरोजगारी भत्ता राज्यांश से राज्य रोजगार गारंटी निधि से भुगतान किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई हो, के भुगतान उपरान्त, राज्य सरकार, आयुक्त, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मांग पर अधिनियम के अधीन भुगतान किए गए बेरोजगारी भत्ते प्रतिपूर्ति के दावों को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध करवाएगी। बेरोजगार भत्ते का भुगतान।

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 20th June, 2014

No. S.O. 67/C.A. 42/2005/S. 32/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act 42 of 2005), and with reference to Haryana Government, Rural Development Department, Notification No. S.O. 22/C.A. 42/2005/S. 32/2014, dated the 7th February, 2014, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely :—

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Rural Employment Guarantee (Unemployment Allowance) Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act 42 of 2005);

(b) "Central rules" means the rules framed by the Ministry of Rural Development, Government of India under the Act;

(c) "District Programme Coordinator" means the Deputy Commissioner-cum-Chairman of the District Rural Development Agency;

(d) "Fund" means the State Employment Guarantee Fund established under section 21 of the Act;

(e) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(f) "Panchayat Secretary" means the Secretary of the concerned Panchayat;

(g) "Scheme" means Haryana Rural Employment Guarantee Scheme, 2007;

(h) "unemployment allowance" means payment made under section 7 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them under the Act.

Eligibility to receive unemployment allowance.

3. (1) A person who is registered in the Registration-cum-Employment Register, and having been issued a job card under the Scheme, and who has submitted an application seeking employment and whose application is registered in the demand of work register, shall be entitled to enemployment allowance, in case employment is not provided within fifteen days of the receipt of work demand. The unemployment allowance shall be paid at the rate equal to one-fourth of the prevailing wage rate for the first thirty days and euqual to half of the prevailing wage rate for the remaining period. In the event of any delay, the recipient shall be entitled for compensation as provided in para 30 of Schedule II of the Act.

(2) The liability of the Government to pay unemployment allowance to any household shall cease as per the provisions of sub-section (3) of section 7 of the Act.

Procedure for payment of unemployment allowance.

4. (1) A person claiming unemployment allowance shall make an application giving complete details of his bank account number alongwith proof of submission of an application seeking employment to the Panchayat Secretary within fifteen days from the last day of the period for which unemployment allowance is claimed.

(2) On receipt of the application, the Panchayat Secretary shall make necessary enquiries and if he is satisfied that the applicant has submitted an application for registering himself for employment under the scheme and is entitled for payment of unemployment allowance, he shall forward the application to the Programme Officer along with his remarks.

(3) The Programme Officer, on the basis of contents of the application and the justification given by the Panchayat Secretary, shall issue an order to that effect, indicating the period for which the unemployment allowance is payable and shall make payment of the unemployment allowance to the applicant through the Panchayat Secretary of the concerned Gram Panchayat.

(4) If the Programme Officer rejects the demand for unemployment allowance, he shall record the reasons for rejecting the same and convey the same to the applicant in writing under intimation to the Gram Panchayat.

(5) Any person aggrieved by the order of the Programme Officer may prefer an appeal to the concerned District Programme Coordinator within fifteen days of receipt of such order, who shall dispose of the appeal within thirty days from the date of such appeal.

(6) The Gram Panchayat shall transfer the unemployment allowance to the bank account of the eligible applicant.

(7) The Gram Panchayat shall submit a monthly statement to the Programme Officer regarding the payment of unemployment allowance made by it.

Maintenance of accounts of unemployment allowance.

5. (1) The Programme Officer shall maintain the record of payment of enemployment allowance.

(2) Each Gram Panchayat shall maintain a register in respect of applications received by it for payment of unemployment allowance and for information about payment of allowance or rejection thereof, as the case may be. The information in the register shall be reported by the Gram Panchayat to the Programme Officer in the same performa on monthly basis.

(3) Each Programme Officer shall compile the data in the computer and supply a copy of the same to the District Programme Coordinator.

(4) Each District Programme Coordinator shall compile the data received from the Programme Officers and generate monthly and annual reports in the performa given for Monitoring Information System (MIS) formats and send it to the Rural Development Department, Government of Haryana and the Ministry of Rural Development, Government of India through e-mail or online reporting and also forward a hard copy thereof duly signed.

(5) The Programme Officer after sanctioning the unemployment allowance shall initiate disciplinary proceedings against those officers/officials who are found responsible for the payment of unemployment allowance in violation of the provisions of the Act/rules. The amount shall be recovered from the defaulters/beneficiary after due enquiry. The enquiry proceedings shall be completed within ninety days of the receipt of information.

Unemployment allowance not to reduce.

6. Any household, which has been provided with unemployment allowance, shall continue to be eligible for employment on demand with a minimum of one hundred days work in a financial year :

Provided that the number of total days for which unemployment allowance is given and/or employment is provided shall not exceed the limit of hundred days wages during a financial year.

Payment of unemployment allowance.

7. Unemployment allowance shall be paid from the State Employment Guarantee Fund from the State share. After payment of the unemployment allowance, if any, the Government shall provide fund to meet the reimbursement claims of unemployment allowance paid under the Act on the demand of Commissioner, Haryana Rural Employment Guarantee Scheme.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department, Chandigarh.